आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, 8–ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड़, देहरादून ।

मैनुअल – चार

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(iv)]

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मानक/मापमान

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्थापित मानक एवं नियमों के अन्तर्गत कार्य किया जाता है।

जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ''**उत्तराखण्ड अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2003**'' के अधीन विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उचित दर पर खाद्यान्न/चीनी उपलब्ध कराया जाना तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है ।

जन–वितरण प्रणाली के अर्न्तगत राशन कार्ड जारी करने एवं विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न वितरण की मात्रा /मानक निम्नानुसार निर्धारित है :–

राशन कार्ड जारी करने हेतु मानक

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राशन कार्ड जारी/उपलब्ध कराये जाने के सम्बध में जारी किये गये निम्न शासनादेश उत्तराखण्ड में लागू है :–

1– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा भी शासनदेश संख्या–2206/उन्तीस–खाद्य–6–13(48)/90 खाद्य तथा रसद अनुभाग–6 लखनऊ दिनॉक 05–04–1990

2– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा भी शासनदेश संख्या–1393/उन्तीस–खाद्य–6–2/91 खाद्य तथा रसद अनुभाग–6 लखनऊ दिनॉक 13–05–1993

उपरोक्त शासनादेशों की प्रतियाँ इस मैनूअल के साथ संलग्न है ।

उपरोक्त शासनादेशों के साथ राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया निर्धारित है जिसके अनुसार :–

शहरी क्षेत्र में जि0पू0 कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राशन कार्ड जारी किये जाते है ।

- अ श्रेणी के राशन कार्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तत्काल ही बिना किसी जाँच के जारी कर दिये जाते है तथा राशन कार्ड जारी होने के एक माह के अन्दर जॉच पूरी की जाती है । यदि जाँच में यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत सूचना देकर कार्ड प्राप्त किया है तो कार्ड निरस्त करते हुए उन्हे एक साल तक राशन उपलब्ध होने वाली समस्त सूविधओं से वंचित कर दिया जायेगा । अ श्रेणी के राशन कार्ड की निम्न तीन श्रेणियॉ है –
- अ–1 पूर्व निवास स्थान से राशन कार्ड समर्पण प्रमाण पत्र लाने वाले :
- अ–2 पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड रखने वाले
- अ–3 सरकारी/ अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में तैनात
- अन्य श्रेणी के आवेदकों को जॉच के बाद विलम्बतः 17 दिन के अन्दर राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा ।
- महीने की 15 तारीख तक निर्गत राशन कार्डो पर अगले माह से राशन सामाग्री उपलब्ध करायी जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड खण्ड विकासधिकारि के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कुटुम्ब रजिस्टर एवं स्थल जांच के पश्चात जारी किये जायेगें ।

विभिन्न योनाओं के सम्बन्ध में मानक

बी0पी0एल0 योजना

अ– बी0पी0एल0 परिवारों को Subsidized Rate पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

ब– उत्तराखण्ड राज्य में बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत **4,98,000 बी0पी0एल0 परिवारों** का चयन किया गया है, जिसमें अन्त्योदय परिवार भी सम्मिलित हैं।

स– इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को **सफेद रंग** का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।

द– इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) **35 किलो ग्राम** खाद्यान्न प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।

य– राज्य के हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में प्रति राशन कार्ड **24.750 किलो ग्राम चावल** एवम् **10.250 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है। **हरिद्वार जनपद** में **12.140 किलो ग्राम चावल** तथा **22.860 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

र– इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को **` 6.15 प्रति किलो ग्राम चावल** एवम् **` 4.65 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

ल– राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2011 से बी0पी0एल0 परिवारों को **` 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल** एवम् **` 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्त्योदय अन्न योजना

अ– इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को **गुलाबी रंग** का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।

ब– इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) **35 किलो ग्राम खाद्यान्न** प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।

स– राज्य के सभी जनपदों में प्रति राशन कार्ड **24.540 किलो ग्राम चावल** एवम् **10.460 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

द– इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को रूपये 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल एवम् रूपये 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।

अन्नपूर्णा योजना (खाद्य विभाग एवम् समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित)

अ– **अन्नपूर्णा** योजनान्तर्गत **65 वर्ष** से अधिक के ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं, किन्तु जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, को चिन्हित किया गया है।

ब– इस योजना के अन्तर्गत **हरे रंग** का राशन कार्ड आपूर्ति कार्यालय अथवा तहसील कार्यालय अथवा ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

स– इस योजना के अन्तर्गत 10 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की दर से निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

ए0पी0एल0 योजना

भारत सरकार के निर्देशानुसार ए0पी0एल0 परिवारों को ` **8.45 प्रति किलो ग्राम चावल कॉमन** एवम् ` **6.60 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु माह फरवरी, 2011 से राज्य सरकार ए0पी0एल0 परिवारों को ` **6.00 प्रति किलो ग्राम की दर से चावल** एवम् ` **4.00 प्रति किलो ग्राम की दर से गेहूँ** उपलब्ध कराया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना (शिक्षा विभाग एवम् खाद्य विभाग द्वारा संचालित)

सरकारी प्राईमरी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राईमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 10 माह का खाद्यान्न निशुल्क दिये जाने का प्राविधान है।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में चलाये जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत पके हुये भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से उत्तराखण्ड राज्य में लागू कर दी गयी है।

योजना से सम्बन्धित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों की प्रति विभाग के सूचना मैनुअल–5 में प्रकाशित की गयी है।

मिट्टी का तेल

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिये मिट्टी तेल का अवंटन किया जाता है, जिसमें प्रतिमाह राज्य में मैदानी क्षेत्र के बिना गैस कनैक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 5 लीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र के बिना गैस कनैक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 7 लीटर मिट्टी तेल शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर दिया जाता है।

चीनी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से सभी राशन कार्ड धारकों को चीनी उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें प्रति कार्ड धारक को निर्धारित मूल्य रूपये 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध करायी जा रही है। उचित दर के राशन विक्रेताओं को चीनी का वितरण मैनादी क्षेत्र में विपणन शाखा के संग्रहण गोदामों से और पर्वतीय क्षेत्र में आपूर्ति शाखा के आन्तरिक गोदामों के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी के आवंटन के आधार पर किया जाता है।

वित्त शाखा में कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

खाद्य विभाग की लेखा–शाखा में वित्त नियंत्रक द्वारा आयुक्त, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति के अधीन कार्य करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका के विभिन्न वाल्यूम में दिये गये नियमो एवम् वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का स्वयं पालन करते हुये अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को वित्तीय नियमों के अर्न्तगत कार्य करने के आदेश एवम् दिशा निर्देश पारित कर उनका मार्ग दर्शन किया जाता है।

वित्त हस्त पुस्तिका के विभिन्न वाल्युम के अधीन कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा एवं वेतन सम्बन्धी मामलों का निस्तारण किया जाता है ।

*****